कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-17.07.2024

विषय:- दुष्कर्म व गर्भपात कारित कराने के मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण राजू कुमार व सुरेन्द्र प्रसाद थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-398/2024 धारा 376/313/504/506 भादवि थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त 1. राजू कुमार पुत्र लौझारी निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 2.सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र लौझारी निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-17.07.2024 को समय करीब 11.00 बजे ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त का मुख्य आरोपी बाल अपचारी दिनांक 01.07.2024 को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक 29.06.2024 को पीड़िता के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद का पुत्र प्रार्थी की पुत्री के साथ जबरिया धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा जिस कारण प्रार्थी की पुत्री 6 माह से गर्भवती हो गयी। विपक्षी व उसके घरवालो से शिकायत करने पर वे लोग अस्पताल चलकर डीएनए टेस्ट की बात कहकर अस्पताल ले गये और विपक्षीगण तथा अस्पताल के प्रबन्धक व डाक्टर आपस में साजिश करके प्रार्थी की पुत्री के पेट का आपरेशन करके गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दिये तथा बताये कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, बिना अनुमति प्रार्थी की पुत्री के पेट का आपरेशन कर बच्चे की हत्या कर देने की शिकायत करने पर सभी विपक्षीगण माँ- बहन की गालियां व जान-माल की धमकी देकर भगा दिये, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर मे मु0अ0सं0 398/2024 धारा 376/313/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 विद्याशंकर शुक्ल द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजू कुमार पुत्र लौझारी निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष

2.सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र लौझारी निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 44 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम गिरधरपुर थाना चौबेपुर, दिनांक 17.07.2024 समय 11.00 बजे

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण- मु0अ0सं0 398/2024 धारा 376/313/504/506 भादवि।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

.1प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी
.2उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी
.3हेकृष्णानन्द पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी 0का0

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।